Seventeenth Loksabha

p>

Title: Request to increase the income limit for eligibility of pre-matric scholarship for SC/ST students from 2 Lakh 50 Thousand Rupees to Eight Lakh Rupees.

डॉ. (**प्रो**.) **किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी** (**अहमदाबाद पश्चिम**)**:** सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक शिक्षावृत्ति के लिए आय सीमा ढाई लाख रुपए है । यह वर्षों से चली आ रही है । इसके बाद कई पे कमिशंस बनें और लोगों की आय बढ़ती गई । एक चपरासी की भी आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा होती है । मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार ओबीसी की आय की सीमा को छ: लाख रुपए से बढ़ा कर आठ लाख रुपए किया गया है, वैसे ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय की सीमा ढाई लाख रुपए से बढ़ा कर आठ लाख रुपए करनी चाहिए ।